अनुसूची–१२ –फारम सं0 १६२

# आदेश–पत्रक

( देखे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

## न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

**भू अतिक्रमण अपील सं0– 04/2013**

**बामेश्वर सिंह**

**बनाम**

**सरकार (मार्फत अंचल अधिकारी जलालपुर, सारण।)**

| आदेश का क्रम–संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| 16.04.2015 | यह माननीय उच्च न्यायालय पटना दाखिल वाद 10931/2014 में पारित आदेश दिनांक 18.12.14 से संबंधित है। यह अपील वाद अंचल अधिकारी जलालपुर के द्वारा अतिक्रमण वाद सं0 11/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.04.13 के विरूद्ध दाखिल है।<br>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि राजस्व कर्मचारी हल्का नं0 06 मौजा कोठेया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौजा कोठेया में खाता सं0 475 खेसरा सं0 2027 रकवा 15 डिसमिल किस्म परती कदीम कर के खतिआन में दर्ज है पर मौजा कोठेया के राम अयोध्या सिंह के पुत्र दुधनाथ सिंह एवं वामेश्वर सिंह पिता राम अयोध्या सिंह सा0 कोठेया के द्वारा अवैध रूप से दखल कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त भूमि गैर मजरूआ 'मालिक करके खतियान में दर्ज है तथा जमीन्दारी के विलीन हो जाने के वाद यह जमीन बिहार सरकार की है।<br>राजस्व कर्मचारी से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अतिक्रमणकारी दुधनाथ सिंह पिता राम अयोध्या सिंह तथा बामेश्वर सिंह पिता राम अयोध्या सिंह सा0 कोठेया अंचल जलालपुर से कारण पृच्छा की गई।<br>बामेश्वर सिंह के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया कि खाता सं0 475 खेसरा सं0 2027 तौजी नं0 876 की भूमि उन्हे भूतपूर्व मालिक के पुत्र श्री एच0 के0 शरण के द्वारा उनके पिता राम अयोध्या सिंह के नाम से वंदोबस्ती किया गया। बंदोबस्ती के पश्चात उन्हे कर्मचारी के द्वारा 1963 एवं 1984 में रसीद काटा गया। साथ ही, उन्हे हाल में सर्वे का ड्राफ्ट पर्चा भी प्राप्त है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त तथ्य के आधार पर उनके नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने की कृपा की जाय।<br>चूकि उक्त भूमि गैर मजरूआ खास किस्म भूमि परती कदीम | |

खतियान में दर्ज है, इसलिए उक्त जमीन को सरकारी भूमि मानते हुये आवेदक के द्वारा इस पर अवैध रूप से अतिक्रमण माना गया। सरकारी भूमि का लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा सकता है, इसलिए अंचल अधिकारी जलालपुर के द्वारा 20.04.13 को बामेश्वर सिंह के जवाब को खारिज करते हुये अतिक्रमण को खाली करने के लिये आदेश निर्गत किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा यह वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि प्रश्नगत जमीन (खाता सं0 475 खेसरा सं0 2027 रकवा 4 कट्ठा 1 धूर किस्म गैर मजरूआ मालिक परती कदीम) पूर्व मालिक के पुत्र श्री एच के शरण के द्वारा बंदोबस्ती की गई। वे शुरू से इसका लगान का भुगतान करते आ रहे है। हाल ही में, अपीलार्थी को जानकारी हुई कि अंचल अधिकारी के द्वारा विवादित भूमि की गलत जमाबंदी दुसरे के नाम से की गई है। अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी से अपने नाम से नया जमाबंदी कायम करने के लिये सम्पर्क किया गया लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा वाद सं0 462/10 मे पारित आदेश दिनांक 18.02.10 एवं वाद सं0 9397/2011 में पारित आदेश दिनांक 13.11.14 को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि..... ... Where disputed question of title and possession is involved, public land encroachment proceedings are not to be resorted to and the matter has to be left to the decision of the Civil Court-.... ..... A complicated question of title involved cannot be decided in summary proceeding-------- अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सारण के पत्रांक 467/भू–अर्जन दिनांक 26.03.13 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भवदीय के निर्देश पर कागजातो की जॉच करने पर पाया गया कि खाता सं0 664 अन्तर्गत खेसरा सं0 2027 की जमाबंदी राम अयोध्या सिंह के नाम से अंकित नहीं है। जमाबंदी सं0 19 मंगल सिंह के नाम से कायम है जो खाता सं0 664 खेसरा सं0 2027 से संबंधित नहीं है। स्पष्टतः राम अयोध्या सिंह के नाम से निर्गत जमाबंदी सं0 19 का लगान रसीद जाली है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सारण, छपरा के द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को भेजने का अनुरोध अंचल अधिकारी जलालपुर से किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि जाली फरेब कर माल गुजारी रसीद करने की स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी विहार सरकार पर नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा अपने पक्ष में पहली माल गुजारी रसीद 1963 का प्रस्तुत किया गया है। इससे भी यह सिद्ध होता

है कि अपीलार्थी के द्वारा उनके नाम से निर्गत नोटिस के आलोक में जमाबंदी रिटॅर्न के आधार पर कायम नहीं किया गया बल्कि कर्मचारी को मिलाकर गैर कानूनी तरीके से रसीद प्राप्त किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी के अपील को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातो के परिसीलन के उपरांत मै पाता हूँ कि अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित जिन आदेशो का उल्लेख उपर किया गया है, वह इस वाद में लागू नहीं होता है। अपीलार्थी के द्वारा जिन कागजातो के आधार पर अपना दावा प्रश्नगत भूमि पर पेश किया गया है वे सत्यापन के कम में जाली पाए गए है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 258 / न्यायालय, दिनांक 17/4/2015

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी, जलालपुर को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर upload करने हेतु प्रेषित।

17/4/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण

17/4/15